हिन्दी कहानी में मुस्लिम नारी-पात्र

डॉ. इशरत खान

'नई कहानी' और उसके बाद की पीढ़ी के कहानीकारों में शानी, राही मासूम रजा, बदी उज्जमा, इब्राहीम शरीफ, नफीस आफरीदी, मेहरून्निसा परवेज, नासिरा शर्मा और मंजूर एहतेशाम ने मुस्लिम जनजीवन के साथ ही मुस्लिम नारी और उनकी समस्याओं का भी यथार्थ चित्रण किया है।

समाज की नई-नई सामाजिक समस्याओं की ओर भी हिन्दी कहानीकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। न केवल समाज के पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति वर्तमान कहानीकारों की दृष्टि गई है, बल्कि नागा, मिजो, संथाल तथा अन्य आदिवासियों, समुद्रीतट के मछुआरों, खानाबदोशों आदि के जीवन को भी कहानीकारों ने अपना विषय बनाया है। इस संदर्भ में अखरने वाली बात यह है कि जहाँ प्रेमचन्द, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, उपेन्द्रनाथ अश्क और यशपाल आदि पुराने खेमे के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में मुस्लिम जनजीवन की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की है। वहाँ वर्तमान नई पीढ़ी के कहानीकारों की कहानियों में मुस्लिम जीवन एवं प्रकृति चित्रण का सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हमारे इन उभरते हुये कहानीकारों को मुस्लिम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है।

'नयी कहानी की भूमिका' में कमलेश्वर ने सर्वप्रथम यह बात उठायी कि "पिछले दौर की कहानियों में शाश्वत मूल्यों के नाम पर कहानियों में हिन्दू भावना भरी थी। पत्नियाँ हिन्दू पत्नियाँ हैं और बहनें, नन्दें सब हिन्दू हैं। 'नयी कहानी' ने इस तथाकथित शाश्वत मूल्यों की आग्रह-मूलकता को खंडित किया है।"[१] 'नई कहानी' और उसके बाद की पीढ़ी के कहानीकारों में मुस्लिम-नारी पात्र मिलते- कमलेश्वर का यह कहना सही है... लेकिन यह कथन मुस्लिम कथाकारों के संदर्भ में ही उचित जान पड़ता है। इनमें शानी, राही मासूम रजा, बदी उज्जमा, इब्राहीम शरीफ, नफीस आफरीदी, मेहरून्निसा परवेज, नासिरा शर्मा और मंजूर एहतेशाम ने मुस्लिम जनजीवन के साथ ही मुस्लिम नारी और उनकी समस्याओं का भी यथार्थ चित्रण किया है। मुस्लिम कहानीकारों ने मुस्लिम नारी का जो अंकन किया है, वह देखा-भाला, अनुभूतिमय है। वे परिवार में, समाज में मुस्लिम नारियों की स्थिति को देखते, सोचते और विचारते रहे हैं।

नारीवादी दृष्टि से इस्लाम हमेशा बदनाम रहा है। इस्लाम में बीवी की अपेक्षा शौहरों के अधिकार कहीं अधिक हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस दोनों में बीवी के अधिकारों की बात भी कही गई है। प्रेमचन्द ने इस सच्चाई को 'न्याय' कहानी में उजागर किया है। इसमें 'मोहम्मद साहेब' की बेटी 'जैनब' और दामाद 'अबुलआस' के पवित्र संबंधों को दर्शाया गया है। अबुलआस अपनी पत्नी प्रेम के कारण ही इस्लाम कुबूल कर लेते हैं हालाँकि विधर्मी उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी करते हैं लेकिन वे अपने इरादे से नहीं डिगते। इस्लाम में पति-पत्नी के संबंधों पर प्रकाश डालता एक संवाद उद्धृत किया जा रहा है-

"अबूसिफियान : तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना होगा।

अबुलआस : हरगिज नहीं...।

अबूसिफियान : तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे।

अबुलआस : हरगिज नहीं।

अबूसिफियान : तो उसे मोहम्मद के घर रहना पड़ेगा।

अबुलआस : हरगिज नहीं। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिये कि उसे अपने घर ले जाऊँ।

अबूसिफियान : हरगिज नहीं।

अबुलआस : तो फिर आप लोग मुझे समाज से पतित कर दीजिये। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग और जो सजा चाहें दें, वह सब मंजूर है। मगर मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं किसी भी धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता और वह भी अपनी बीवी की।"[२]

इतिहास में मुस्लिम शासक विलासप्रिय एवं नारी-प्रिय के रूप में ही जाने जाते हैं जबकि भारत में शिवाजी जैसे शासक भी मिलते हैं जो प्रत्येक धर्म की स्त्रियों का सम्मान करना जानते थे, लेकिन इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग एवं उदाहरण मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि जालिम से जालिम शासक भी औरतों की इज्जत करना जानते थे। प्रेमचन्द की 'परीक्षा' कहानी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। ईरान का शासक 'नादिरशाह' दिल्ली पर आक्रमण करता है और शाही हरम की बेगमों को 'नाच' करने के लिये आमंत्रित करता है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी दर्शाया है कि नादिरशाही के हुक्म से बेगमें हतबुद्धि-सी हो जाती हैं और परिस्थिति से समझौता कर लेती हैं लेकिन किसी बेगम में साहस नहीं कि नादिरशाह के प्रति विद्रोह करतीं, तलवार उठातीं। मुस्लिम बेगमों की कायरता को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है...।

"मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुममें औरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गयी

तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या वह मुमकिन न था कि तुममें से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती। मैं कलामे-पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुममें से किसी को कटार पर हाथ रखते हुये देखकर मुझे बेहद खुशी होती, मैं उन नाजुक हाथों के सामने गरदन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुकूमत बिगाड़ने पर हाथ उठाती।"[३]

प्राय: प्रत्येक धर्म में नारियाँ धर्मभीरू होती हैं। वे धार्मिक बाह्याडम्बरों एवं अंधविश्वासों पर अधिक विश्वास रखती हैं। इससे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। मुस्लिम नारी चाहे गाँव की हो या शहर की हो सभी में अंधिश्वासों का बोलबाला है। मुस्लिम नारियों में व्याप्त इस विकृति की यही दृष्टि रही है... उनका अधिक से अधिक मानसिक विकास करना। शानी तो विशेषकर मुस्लिम नारियों की सोच को विकसित करना चाहते हैं उन्हें प्रगतिशील नारी बनाना चाहते हैं जिससे वह अपना मानसिक विकास कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों।

इस्लाम में यह धारणा है कि घर में कुत्ता पालने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं और घर में बरकत नहीं रहती है। शानी की 'जगह दो, रहमत के फरिश्ते आयेंगे' कहानी में इसी अंधविश्वास को उजागर किया गया है। प्रस्तुत उद्धरण में दादीजान, बच्चों के दिल में भी इन अंधविश्वासों को भर देती हैं। "कुत्ता! हमें नहीं पालना है कुत्ता-उत्ता।" सूफिया ने बुढ़िया जैसे अंदाज में टोककर कहा था, "नापाक जानवर है। दादी कहती हैं कि जिस घर में कुत्ते होते हैं, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते।"[४]

अन्त में पापा, बेटी की प्यारी 'ब्राउनी' को अस्पताल में छोड़ देते हैं और दुख के साथ कहते हैं-

"सूफिया बेटे, अम्मी को खत लिख दो। कहना इस घर में अब रहमत के फरिश्तों के लिये जगह हो गयी है।"[५]

पति के देहान्त के बाद उसकी विधवा को अनेक ऐसी रस्मों से गुजरना पड़ता है जिससे उसका दु:ख और बढ़ जाता है। जिस पति का सुख उसे (पत्नी) जीवन भर नहीं मिला, उसकी मृत्यु पर विधवा को, समाज के दिखावे के लिये, यह सब करना पड़ता है। 'बीच के लोग' कहानी में शानी इसी धार्मिक रीति-रिवाजों पर व्यंग्य करते हुये कहते हैं- "अरे, जिसे आधी जिन्दगी नहीं देखा और जिसके लौटने की उम्मीद ही न हो, उसका मेरे लिये मरना-न-मरना क्या? वो तो रस्मन चूड़ियाँ तोड़ डाली हैं।"[६]

'पत्थर वाली गली' में मेहरून्निसा परवेज ने अनेक लोक अंधविश्वासों का व्यापक रूप से चित्रण किया है। गाँव वालों में यह विश्वास पनपता जा रहा है कि...

"वहाँ पेटवाली औरतों को या जच्चा को गाड़ते हैं, गाँव वाले, नहीं तो जागकर वह गाँव वालों को तंग करती है।"[७]

इसी कहानी में कहानीकार ने एक धार्मिक विकृति की ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। दरगाहों पर जो इलायचीदाना, चादर आदि चढ़ावा चढ़ता है उसे ही साफ कर दुकानों पर बेचने के लिये पुन: रख दिया जाता है। यह काम बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है नहीं तो लोगों की श्रद्धा ही टूट जायेगी। इसमें मुजाविर और दुकानदार का भी आधा-आधा हिस्सा होता है। इस काम में गाँव की लड़कियाँ ही पटु होती हैं।

'पत्थर वाली गली' में मेहरून्निसा परवेज ने धार्मिक विकृति की ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। दरगाहों पर जो इलायचीदाना, चादर आदि चढ़ावा चढ़ता है उसे ही साफ कर दुकानों पर बेचने के लिये पुन: रख दिया जाता है।

भारत में रहने वाले मुसलमान परिवार में पर्दा वह अधीनस्थ संस्था है जिसकी गिरफ्त औरतों पर बहुत मजबूत रही है। अभी तक उपमहाद्वीप की मुसलमान औरत इस जकड़बन्दी से पूरी तरह आजाद नहीं हो पायी है। किसी-किसी परिवार में तो औरतों के पर्दे को लेकर कड़ी पाबन्दी लगाई जाती है। वहाँ तो औरत की छाया का भी पर्दा होता है। विष्णु प्रभाकर की 'ये बंधन' कहानी में मुसलमानों में प्रचलित पर्दा-प्रथा का मखौल उड़ाया गया है। कहानी की नायिका सुरैया कहती है... "कैसे-कैसे कानून बनाये हैं आप लोगों ने, बाप रे। कभी-कभी तो ऐसा मन करता है कि इस बुरके को फाड़कर फेंक दूँ।"[८]

लेकिन क्या आज यह प्रथा एकल परिवार में सम्भव है। समय को देखते हुये मुस्लिम समाज में इन छोटी-छोटी बातों में बदलाव लाना होगा तभी मुस्लिम नारियाँ समाज में अपनी अच्छी पहचान बना सकेंगी।

वैसे देखा जाये तो मुस्लिम समाज में नारी की स्थिति दयनीय है। यहाँ पुरुष सत्ता का वर्चस्व ही है। पुरुष का अहं, अधिकार ही सब कुछ है, औरतों के हाथ कुछ भी नहीं है। इसी का फायदा उठाकर पुरुष, औरतों पर मनचाहा अत्याचार करता है। इन मुस्लिम औरतों की नियति पर तो खुदा भी आँसू नहीं बहाता। अनेक कहानियों में नारी की इस दर्दभरी दास्तान को अंकित किया गया है। इस्लाम में शौहर अपने हुकूक का फायदा उठाकर ही अपनी बीवियों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते हैं। स्वयं तो बीवी को भोगते हैं और अपने दोस्त को भी परोसते हैं। कथा नायिका (जैबा) कहती है... "अब्बा शराब के नशे में अपने दोस्त से बोले,- मेरी हर चीज में तुम्हारा हिस्सा है। यहाँ तक मेरी बीवी में भी। हम दिन बाँट लेंगे, जब मैं बाहर रहूँ तो तुम यहाँ रहो, जब तुम बाहर

रहो तो मैं इसके साथ रहूँगा। अम्मा ने घबराकर अपनी आँखें भींच ली थीं।"[९]

अम्मा के 'माँ' बनने की बात जानकर उसके पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। शराब के नशे में वह अपनी पत्नी की बुरी तरह पिटाई करता है। शौहर के जुल्म की कहानी उसी के शब्दों में... "सुन री छिनाल औरत, तूने मेरे साथ धोखा किया। देख लेना इसका नतीजा जल्दी ही भुगत लेगी। तूने मेरी नस्ल खराब कर दी। औरत की जात साली मुर्गी की जात है, जिसके घर दो दिन बाँध दो, दाना दे दो, वह उसी का आँगन पहचानने लगती है।"[१०]

नासिरा शर्मा के लेखन का फलक देश और विदेश की असीमित परिधियों तक फैला हुआ है। एक ओर उनकी कहानियों में ठेठ भारतीय पात्र अपने परिवेश की खुशबू बिखेरते हैं तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्वलंत मानवीय समस्याओं से रूबरू नजर आती हैं। उन्होंने अपनी ईरान यात्रा के दौरान वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक माहौल को देख, वहाँ की नारी-स्थिति को देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत में ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में भी औरतों की स्थिति सोचनीय है। इन्हीं एहसासों की कहानियाँ 'संगसार', 'शामी कागज' कहानी संग्रहों में संग्रहीत हैं। विशेषकर संगसार कहानी, हिन्दी की बेजोड़ कहानियों में अपना स्थान रखती है। इस कहानी में 'आसिया' और उसका प्रेमी दोनों ने एक ही जुर्म किया है लेकिन अदालत से प्रेमी साफ बच जाता है और सजा बेचारी आसिया को मिलती है... यह कैसा इंसाफ है... न्याय या अन्याय। कहानी का एक मार्मिक अंश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-

"उधर शहला और सादिया नाकाम लौटीं। अपने प्रभाव, जान-पहचान और रिश्वत की पेशकश के बावजूद वे इस हकीकत से बुरी तरह टकराईं कि एक ही समाज में दो मापदंड हैं। मर्द के लिये क्षमा और औरत के लिये दंड... सबके सिर झुक गये।"[११]

हिन्दी कहानियों में मुस्लिम बादशाहों और सामन्तीय वर्ग में नारी स्थिति को रेखांकित किया गया है। इनमें आचार्य चतुरसेन शास्त्री का प्रमुख स्थान है। 'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी' में मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों और सामन्तों की मानसिकता को दर्शाया गया है। उनकी दृष्टि में नारी केवल भोग और एकाधिकार की वस्तु है। बादशाह के जुल्मों को दर्शाता एक उदाहरण दृष्टव्य है- "हाय! बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतजारी करते-करते आँख फूट जाये, मिन्तें करते-करते जबान घिस जाये, अदब करते-करते जिस्म के टुकड़े-टुकड़े हो जायें फिर भी इतनी-सी बात पर, जाग न सकी, इतनी सजा? इतनी बेइज्जती?"

मुस्लिम विवाह पद्धति में बहुविवाह... जैसी अनेक विकृतियाँ व्यापक रूप से फैली हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार मुस्लिम पुरुष अपनी मर्जी से एकाधिक बीवियाँ रख सकता है, तलाक दे सकता है। इस स्थिति में मुस्लिम नारी की दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है। हिन्दी की अनेक कहानियों में नारी की इस अहसास और विषम दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। नफीस आफरीदी की 'अर्द्धविराम' कहानी में नारी की ऐसी ही दशा का कारुणिक चित्रण हुआ है। इसमें अधेड़ और गरीब करीम तांगे वाले की कहानी कही गई है। पहली बीवी मरियम और एक बच्चा होते हुये भी करीम जवान-जहान बतूल को एक हजार रुपये में निकाह कर ले आता है। इसी कारण मरियम और बतूल दोनों नारियों का जीवन त्रासद बन जाता है। बतूल भी बेचारी बेखबर थी कि उसे भरे-पूरे घर में भेजा जा रहा है। वह उस दिन को याद-याद करके हैरान हो उठती है- "उस दिन को याद करते ही हैरान-सी हो उठती वह, जिस दिन लाल जोड़े में लिपटी करीम के दरवाजे पर उतरी थी। इससे पहले नहीं जानती थी कि जहाँ वह जिन्दगी बिताने के लिये आयी, वहाँ की शासक एक अधेड़ औरत शुरू से मौजूद है। मरियम को भी मालूम नहीं था कि उसके एकछत्र राज्य को इस तरह छिनवा देगा, करीम। दोनों हकबक रह गये थे।"[१२]

मुस्लिम विवह में मेहर संबंधी अनेक समस्यायें आती हैं। मेहर एक प्रकार की राशि या सम्पत्ति है जिसे निकाह के उपलक्ष्य में पत्नी, पति से प्राप्त करने की हकदार होती है, जिसके बिना निकाह कानूनी तौर पर जायज नहीं माना जाता। पत्नी-सुरक्षा का मेहर, शक्तिशाली हथियार है। मुस्लिम धर्म में तलाक की अधिकता के कारण और उससे बचने के लिये पति पर मेहर की राशि अधिक निश्चित की जाती है किन्तु कुछ धोखेबाज मुस्लिम शौहर ऐसे होते हैं जो सुहागरात में ही 'मेहर' की रकम माफ करवा लेते हैं। इसी थीम पर आधारित 'खुदा की वापसी' एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रस्तुत उद्धरण में पुरुष की इसी रुग्ण मानसिकता को दर्शाया गया है- "देखिये अगर आप मेहर के रुपये चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चेक अभी काटकर आपके हवाले कर सकता हूँ, मगर बात कुछ और है। वह औरत शौहर के लिये बहुत मुबारक होती है जो पहली रात अपने शौहर का मेहर माफ कर दे। वह बड़ी पाकदामन समझी जाती है।"[१३]

मेहरून्निसा परवेज ने मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम नारी की आर्थिक विपन्नता का विशेष से चित्रण किया है। 'त्यौहार' कहानी में 'खाला' पात्र के माध्यम से टूटी-बिखरी मुफ्लिसी की जिन्दगी का अच्छा खासा खाका पेश किया गया है। 'सीढ़ियों का ठेका' कहानी में मुस्लिम निम्न वर्ग का चित्रण किया गया है जो और कोई साधन न होने के कारण 'खैरात' और 'भीख' पर अपनी जिन्दगी गुजर करते हैं। करीमन, अँधा फारूख, कुबड़ी फातिमा आदि सब खैर-खैरात के ही दम पर जीते हैं। इस प्रसंग में एक उद्धरण दृष्टव्य है-

"नमाज खत्म हो गई थी। कुछ लोग आते दिखे। वे लोग सीढ़ियों पर ही जूते पहनते थे। बस, यही समय तो फरियाद सुनाने का होता है। करीमन ने अपनी झोली फैला दी और गिड़गिड़ाकर कहना शुरू किया, "अल्ला तेरे बाल-बच्चों की खैर करे। खै-खैरात आड़ आये बाबा! कुछ गरीब की झोली में डाल दो, अल्ला तुम्हारी झोली भरेगा।"

इसी के साथ कुछ नारियाँ अपनी सीमा रेखा से कहीं दूर भी चली गई हैं। पाश्चात्य संस्कृति और पुरुष वर्चस्व के कारण अपने विवेक को ही खो बैठी हैं। इस कथ्य को आधार बनाकर मंजूर एहतेशाम को 'घेरा' कहानी लिखी जो कि हिन्दी में अत्यन्त चर्चित कहानी रही है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति में डूबी 'शब्बो' की कहानी कही गई है। किन्हीं कारणों से एक बार वह सीमा का अतिक्रमण करती है तो अपने को रोक नहीं पाती है और उसका निरन्तर पतन होता जाता है। आधुनिका 'शब्बो' का एक

रूप देखिये- "जमाल ने अपनी बाँह उसकी कमर में डालते हुये सर गोद में रख दिया। उनके आसपास घुन-घुन करके तितर-बितर होती, एयर कंडीशनर की आवाज थी और शब्बो को मजबूती से जकड़े जमाल की बाँह। दीवार पर फैले लम्बे-चौड़े आयने में शब्बो ने अपनी इमेज को देखा और उसकी उँगलियाँ गोदी में रखे जमाल के सर के बालों में दौड़ने लगीं।"[१४]

आज समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। इसी के साथ मुस्लिम नारियों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आज मुस्लिम नारी अपने प्रति और अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है। उसके सोचने, समझने का दायरा बढ़ा है। वह इस्लामी एवं प्राचीन मान्यताओं को अस्वीकार करती हुई दिखाई देती है जो कि आज के युग में मिसफिट हो गई है। मुस्लिम नारी की इस विकसित सोच एवं चेतना को हिन्दी कहानियों में उकेरा गया है। नासिरा शर्मा की 'खुदा की कसम' कहानी में मेहर समस्या पर प्रकाश डाला गया है। 'मेहर' ही विवाहिता का सबसे बड़ा बैंक है। इस कहानी में पति अपनी पत्नी से मेहर माफ करने की बात करता है, लेकिन पत्नी साहसपूर्वक मेहर माफ करने से मना कर देती है और अपने घर चली जाती है। फरजाना दर्द भरे स्वर में कहती है- "मगर मैं मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर पाती हूँ। हरदम उस रात की बातें मुझे हथौड़े की तरह पीटती हैं, मुझे बताती हैं कि तुमने मेरी मजबूरी, मेरी मासूमियत से फायदा उठाया है। खुदा के बाद शौहर के आगे सिजदा वाजिब है, मगर बताओ क्या मैं सच्चे दिल से तुम्हारे आगे माथा टेक सकती हूँ? उस खुदा के आगे तुम माथा टेक सकते हो, जो तुमसे झूठ बोले।"[१५] इसी तरह 'शामी कागज' कहानी में 'पाशा' पति के देहान्त के बाद महमूद के विवाह-प्रस्ताव को अस्वीकार करती हुई कहती है, "कोई जरूरी है, एक बार जी हुई जिन्दगी को दुबारा दोहराया जाये? नौकरी कर रही हूँ। खाने भर का कमा लेती हूँ... और फिर महमूद! मैं भी कोई शामी कागज थोड़े ही हूँ कि जब जरूरत पड़ी, उसे धोकर, दूसरा फरमान लिख दिया... मैं इंसान हूँ और इंसान के दिल पर लिखे हरफ बार-बार धोए नहीं जा सकते हैं।"[१६]

'कयामत आ गई है' गरीब, निम्नवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। जिस परिवार में यौन संबंधों की बात तक नहीं की जाती थी वहाँ अवैध संबंध स्थापित करना तो दूर की कौड़ी लाने के समान थी। 'आपा' का अवैध संबंध अहसान भाई से हो जाता है... उसकी सगाई भी हो चुकी है... इस मुसीबत का हल मुर्गीवाली खाला के पास ही मिलता है। वह नूरी के साथ इस अवैध संबंध का खात्मा कर देती है, लेकिन आज जमाना बदल गया है... महिला कथाकारों ने भी इस पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। वे अविवाहित मातृत्व को भी वैध मानती हैं। जब 'रन्नो' विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती है तब उसकी माँ जबरदस्ती शादी की मोहर लगा देती हैं... 'आपा' की तरह 'रन्नो' दुःख सहने के लिये नहीं बनी।

आपा, नूरी की ओर देखते हुये कहती है-

"नूरी, इसे दिन चढ़े हैं। दोनों को मालूम है। अब वह हमारा जमाना तो रहा नहीं, जब हमें छिपाकर जहर पीना पड़ता था। यह नया जमाना है।"[१७]

मुस्लिम विवाह प्रथा की एक बात और जिस पर आधुनिक युग में कड़ा प्रहार हो रहा है। इस पद्धति के अनुसार सगे अर्थात् एक माँ-बाप के जाये भाई-बहनों के सिवा सबसे विवाह हो सकता है। कई बार तो माँ-बाप बेटा-बेटी के विवाह के लिये उनके बचपन से ही वचनबद्ध हो जाते हैं। आधुनिक शिक्षित युवा-युवतियाँ नजदीकी रिश्ते के भाई-बहनों से शादी करना पसन्द नहीं करते, लेकिन इस क्षेत्र में भी क्रांति-सी आ गई है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध युवा-युवतियाँ अपने माँ-बाप के प्रति विद्रोह करने की भी ठान लेते हैं। शफीक अहमद सिद्दीकी की 'शीतल अग्नि' कहानी में 'शगुफ्ता' ऐसा ही विरोध जताती है। उसका प्रेम 'शाहिद' से हो जाता है, लेकिन उसकी अम्मी, शगुफ्ता की शादी बचपन में ही उसके मौसेरे भाई 'नसीम' से पक्की कर चुकी है। किन्तु शगुफ्ता जिस साहस के साथ इस रिश्ते को अस्वीकार कर देती है, वह आधुनिक शिक्षिता मुस्लिम युवती का एक नया प्रगतिशील रूप है। वह स्पष्ट शब्दों में शादी से इंकार कर देती है। "शादी जरूरी करूँगी लेकिन नसीम से नहीं।"

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी कहानीकारों ने मुस्लिम-समाज के अन्तर्विरोधों के साथ-साथ मुस्लिम नारियों के समक्ष खड़ी चुनौतियों एवं समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे यह भी कामना करते हैं कि औरत मुस्लिम नारी के मानस में गहरे तक पैठ चुकी रूढ़िवादिता, धर्मान्धता की भावना समाप्त हो और स्त्री शक्ति का नया रूप सामने आये।

संदर्भ सूची

१. कमलेश्वर : नयी कहानी की भूमिका, पृ. ११
२. प्रेमचन्द : न्याय (मानसरोवर भाग २), पृ. २३७
३. प्रेमचन्द : परीक्षा (मानसरोवर भाग ३), पृ. १०९
४. शानी : जगह दो रहमत के फरिश्ते आयेंगे (प्रतिनिधि कहानियाँ), पृ. ८१
५. वही : पृ. ८६
६. शानी : बीच के लोग (प्रतिनिधि कहानियाँ), पृ. ७२
७. मेहरून्निसा परवेज : पत्थर वाली गली (अंतिम चढ़ाई), पृ. ६२
८. विष्णु प्रभाकर : ये बंधन (आखिर क्यों), पृ. १४
९. मेहरून्निसा परवेज : पत्थर वाली गली, पृ. ७०-७१
१०. वही : पृ. ७१
११. नासिरा शर्मा : संगसार (संगसार, कहानी संग्रह), पृ. १३४-१३५
१२. विजयदेव झारी : हिन्दी कहानी में मुस्लिम जीवन और संस्कृति, पृ. १२३
१३. नासिरा शर्मा : खुदा की वापसी, पृ. १८
१४. मंजूर एहतेशाम : घेरा (तमाशा तथा अन्य कहानियाँ), पृ. २४
१५. नासिरा शर्मा : खुदा की वापसी, कहानी संग्रह, पृ. ३०
१६. नासिरा शर्मा : शामी कागज (शामी कागज कहानी संग्रह), पृ. १०५
१७. मेहरून्निसा परवेज : कयामत आ गई है (ढहता कुतुबमीनार, कहानी संग्रह), पृ. ४८

●

रीडर (हिन्दी विभाग)
गोवा विश्वविद्यालय, गोवा